

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

प०दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ०एन०जी०सी० हेलीपैड, नीबूवाला गढीकैन्ट, देहरादून।
दूरभाष-01352559898 / 2559900 / 2559987 / फ़ैक्स-2559988

संख्या- 4156/2-7-129/2017

देहरादून, दिनांक 9 मार्च, 2017

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली (द्वितीय संशोधन 2017)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं०-12/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 28-11-2001) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली 2015 (द्वितीय संशोधन 2017) को अग्रेतर संशोधन करते हुये पूर्व नियमावली दिनांक 25-2-2016 (प्रथम संशोधन) के परिशिष्ट-3 पर उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर संलग्न नवीन परिशिष्ट-3 पर उल्लिखित शपथ पत्र जो कि स्वप्रमाणित पत्र है को ₹0 100.00 के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर पर भर कर सलस्र किया जाना होगा। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(शैलेश बगौली)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परिशिष्ट-3

शपथ-पत्र

(सौ रुपये के नॉन-जुडिशियल पेपर पर)

समस्त:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद.....।

मैं/हम..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... घोषणा करता हूँ/करती हूँ करते हैं कि:-

- 1- यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है ।
- 2- यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता)..... में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षा..... (कक्षा की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक है ।
- 3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नहीं है ।
- 4- यह कि मेरा/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है,जिस कारण मोलचित्र नहीं है/स्वीकृत नहीं है। भवन हेरिटेज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है ।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊगी/होगे । ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभागा का होगा ।

5- यह कि मेरा/हमारे द्वारा आदेश उत्तराखण्ड गृह आवास(होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/उप नियमों/शर्तों की कड़ी आंति पढ़ लिया गया है,जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा/होऊगी/होगे ।

-घोषणा-

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी । ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

आज दिनांक..... को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।



नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता

जिला पर्यटन विकास अधिकारी

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना से सम्बन्धित जनपदवार माह नवम्बर, 2017 तक पंजीकृत इकाईयों की संख्या:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	प्राप्त आवेदन	पंजीकृत इकाईयों की संख्या
1	देहरादून	150	53
2	हरिद्वार	05	05
3	टिहरी	65	65
4	उत्तरकाशी	31	19
5	पौड़ी	22	02
6	रूद्रप्रयाग	01	01
7	चमोली	10	02
8	उ० नगर	02	02
9	नैनीताल	40	40
10	अल्मोडा	63	63
11	पिथौरागढ़	05	05
12	बागेश्वर	14	14
13	चम्पावत	04	02
	योग:-	412	268